PHONE 0135-2650809

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Ph. No. 05966-220679, Fax No. 05966-220679 E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 80 /36वी दिनांक रानीखेत, जनवरी 09/,2020.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद अल्मोड़ा में देघाट तल्ली नारायण मंदिर मालभीड़ा धारकोट सेरा मुनानी मालीखेत नागचूलाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.2731हे0 वन भूमि के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या–16265/2015)।**

सन्दर्भ :– **आपका पत्रांक 2178/12–1(2) दिनांक 15.11.2019 एवं भारत सरकार, देहरादून का कार्यालय पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/27/2017/एफ.सी./1350 दिनांक 20.09.19।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार, देहरादून ने निर्देशित किया है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में E.D.S. दिनांक 15.11.2019 द्वारा जो सूचनाऐं चाही गयी थी उनमें त्रुटिया होने के कारण सन्दर्भित पत्र द्वारा पुनः चार बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है, जिनका निराकरण ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	बिन्दु संख्या– 01 का उत्तर अभी भी सही प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.11.2018 के बिन्दु संख्या– 01 का सही जवाब इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।	इमप्लोइमेन्ट जनरेसन डिटेल सही कर पार्ट–। के पैरा–E में अंकित कर ऑन लाईन प्रेषित कर दी गयी है।
2.	बिन्दु संख्या– 02 के प्रतिउत्तर में Cost benefit analysis अभी भी old format में ही पैरा–G part-I में upload की गई है। राज्य सरकार Cost benefit analysis को New format में प्रस्तुत तथा अपलोड करें।	लागत लाभ विशलेषण प्रपत्र नये फारमेट में पार्ट–। के एडिसनल इनफारमैन्सन में ऑन लाईन कर दिया गया है। हार्ड कापी प्रेषित की जा रही है।
3.	बिन्दु संख्या–3 के प्रतिउत्तर में वन भूमि के प्रयोग का औचित्य सन्तोषजनक नहीं है। अतः राज्य सरकार वन भूमि के प्रयोग का औचित्य पुनः प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	वन भूमि का औचित्य एवं आवश्यकता का प्रमाण पत्र सन्तोषजनक तैयार कर पुनः पार्ट–। में ऑन लाईन कर दिया गयाहै। हार्ड कापी प्रेषित की जा रही है।
4.	बिन्दु संख्या–04 के प्रतिउत्तर में क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्ता हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण वन क्षेत्राधिकारी द्वारा दिनांक 22.01.2019 को किया गया। अतः राज्य सरकार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण कराए तथा सम्बन्धित रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें।	वन क्षेत्राधिकारी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की उपयुक्कता हेतु दिनांक 22.01.2019 को स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (संयुक्त निरीक्षण) प्रमाण पत्र पार्ट–। ऑन लाईन कर हार्ड कापी प्रेषित की गयी थी, जिसका प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा द्वारा दि. 07.12.19 को स्थल निरीक्षण कर दिया गया है। प्रमाण पत्र की हार्ड कापी प्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

प्रभारी अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(नोडल), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत